



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3553

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 31/08/2023

(स्वीकृति संख्या : 12 / 2023-24)

विषय :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरिया, पंचायत समिति रामसर, जिला बाडमेर के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152301916 दिनांक 23.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरिया, पंचायत समिति रामसर, जिला बाडमेर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01-17 MW अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधानों में से राशि रु. 125.00 लाख (अक्षरे राशि रु. एक सौ पच्चीस लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " (RSHS) के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गार्डइलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे:-

राशि (रुपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	12,50,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	12,50,00,00
	कुल योग	12,50,00,00	कुल योग	12,50,00,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशानिर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेख महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152301916 दिनांक 23/08/2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signature invalid
Digital Signature by
NIMS/DTA
Date: 31/08/23
15:00:00

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

RajKaj Ref No. : 4628403

जयपुर, दिनांक - 31/08/2023



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3553

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय 1 विभाग, शासन सचिवालय
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रवावली।

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 4628403

<http://ifms.raj.nic.in>

2

Date : 31/8/2023

Signature in
Digital
NIMS
Date
15



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 0053

IFMS ID : 3553

राशि (रुपये में)

राशि

परिशिष्ट	क्र. स.	Ref. No.	निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष	राशि
			4008 - Rajasthan State Health Society	
			2100 - जयपुर(सचिवालय)	
	1	33861	4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)	12,50,00,00

Signature invalid

Digital Signature by
NIMIS
Date: 15/08/2023

RajKaj Ref No. : 4628403

<http://ifms.raj.nic.in>

Date : 31/8/2023

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर
क्रमांक: एफ-621 / योजना / निर्माण / 2023 / 1071 दिनांक: 11-9-23

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, मुख्यालय।
3. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत निविदा जारी कर निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप निदेशक (सांख्यिकी) योजना अनुभाग मुख्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गागारिया जिला बाडमेर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
जयपुर राजस्थान